न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/168/2024 रजू दिनांकः 09.12.2024 रजि0 न0 2024/282

अपीलार्थीः–

श्री राजेन्द्र तिवाड़ी, अध्यक्ष नाहरगढ़ वन एवं वन्य जीव सुरक्षा एवं सेवा समिति, 29–शंकर कॉलोनी, हीदा की मोरी, रामगंज बाजारा, जयपुर–302003 (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 23.12.2024

1. अपीलार्थी ने सूचनः का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 01.10.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 16.12.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने पत्र कमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2024/2372 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा जवाब प्रेषित कर अवगत कराया है, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम आवेदन दिनांक 01.10.2024 के परिपेक्ष्य में किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलने बाबत अवगत कराया गया है। प्रकरण के संबंध में संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर, कार्यालय पत्रांक लो0सू0अ0/RTI/2024/2021–22 दिनांक 24.10.2024 एवं पत्रांक लो0सू0अ0/RTI/2024/2220 दिनांक 26.11.2024 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर सूचना पंजीकृत–पत्र द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत अपील आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को संबंधित अनुभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यालय के पूर्व पत्रांक लो0सू0अ0/RTI/2024/2021–22 दिनांक 24.10.2024 एवं पत्रांक 2220 दिनांक 26.11.2024 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर सूचना पंजीकृत–पत्र द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। प्रत्यर्थी के द्वारा जरिये प्रतिलिपि पत्रांक सम/2373 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचना अपीलार्थी को पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)